(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25—05—18) न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद (म०प्र०)

जमानत आवेदन कमांक : 181 / 2018

रामप्रकाश सिंह पुत्र हाकिम सिंह पवैया आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम छेकुरी थाना मौ जिला—भिण्ड (म०प्र०) —— आवेदक बनाम

म0प्र0 शासन जरिये पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड (म0प्र0) — अनावेदक

25.05.18

आवेदक / अभियुक्त रामप्रकाश सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बीoएसo बघेल उपस्थित।

पुलिस थाना मौ, जिला—भिण्ड, के अपराध कमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0द0सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

प्रतिभूति आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गय।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्निम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत आवेदन लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में स्वयं का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है जबिक उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने हेतु प्रयत्नशील है। आवेदक वृद्ध होकर सभ्रान्त परिवार का सदस्य है। आवेदक अपनी पत्नी के साथ मृतिका के परिवार से पृथक निवास करता था। आवेदक द्वारा मृतिका से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी। वह सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने को तैयार है। आवेदक स्थानीय निवासी है, प्रतिभूति पर रिहा होने के पश्चात् वह न तो फरार होना और न ही साक्षियों को प्रभावित करेगा। अतः अग्रिम प्रतिभूति पर उन्मुक्त किया जावे।

अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध करते ह्ये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी एवं कैफियत के अवलोकन से दर्शित है कि मृतिका जूली द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु कारित कर लेने से थाना मौ में मर्ग क्रमांक 31 / 17 धारा 174 दे0प्र0सं0 पंजीबद्ध करते हुए जांच के आधार पर ससुरालीजन पति गिर्राज, ससुर रामप्रकाश, सास रेशमा, ननदेउ सतेन्द्र सिंह, ननद रामादेवी द्वारा शादी दिनांक 20.06.14 के बाद से लगातार दहेज में दो लाख रूपये व मोटर सायकिल की मांग कर प्रताड़ित करने एवं उक्त प्रताड़ना के चलते जूली की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अंदर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में होना पाये जाने से आवेदक सहित अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना मो में अपराध कमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में होना दर्शित किया है।

्रअपराध में अभी अनुसंधान लंबित है। वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं। आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध दहेज हत्या के गम्भीर अपराध के संबंध में नामजद रिपोर्ट दर्ज है। अब तक संकलित हुई साक्ष्य से आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टि में गंभीर अपराध आक्षेपित किया गया है।

विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि अग्रिम जमानत का लाभ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में दिया जाता है। अतः अपराध की प्रकृति तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उसे अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारोपरांत आवेदक रामप्रकाश सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा ४३८ द०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। 🔨

्रातं ३

ापस की जावे।

ार्ग्स की जावे।

ार्ग्स विहित समयाविध

सही /—
(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद
जिला भिण्ड(म०प्र०) आदेश की प्रति संलग्न कर केस डायरी वापस की जावे। प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे। 🔊 रसही / –